-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की करीब 6.5 लाख रुपये के कीमत की पीली धातु बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 13.12.2025 को थाना **पैलानी पुलिस** द्वारा चोरी करने वाले एक अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को चोरी के सामान साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम पिपरहरी के रहने वाले ज्वाला प्रसाद ने दिनांक 29.08.2025 को अपने घर में अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 28.08.2025 की रात्रि को चोरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इस क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को अलोना नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। जिसके आधार पर अन्य साथी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये आभूषणों को गलाकर तैयार की गई करीब 6.5 लाख रुपये की ठोस पीली धातु को बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- लगभग 50 ग्राम (ठोस पीली धातु)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हेमन्त पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी ग्राम महेरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0- 209/25 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 342/23 धारा 306/506 भादवि थाना बिवार जनपद हमीरपुर।
- मु0अ0सं0- 259/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक पैलानी श्री राजेश कुमार
2. उ0नि0 श्री हरिशरण सिंह
3. उ0नि0 लल्लन प्रसाद
4. हे0कां0 अनिल